भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 3450

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

विशेष सहायता

3450. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने हाल ही में केन्द्रीय बजट 2019-20 में विशेष सहायता का प्रावधान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत की गई वचनबद्धतानुसार प्रत्येक पिछड़े जिले के लिए 50 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है और यह अनुरोध किया है कि इस पैकेज को तेलंगाना राज्य के सभी जिलों को दिया जाए क्योंकि पूर्ववर्ती नौ जिलों को अब बत्तीस जिलों में विभाजित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने 21 जून, 2019 को केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई बजट-पूर्व बैठक में राज्य के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता का अनुरोध किया था।

(ग): जी, नहीं। तेलंगाना के मुख्य मंत्री ने 26 अगस्त, 2018 के अपने अ.शा. पत्र सं. 21/सीएमओ के द्वारा पिछड़े राज्यों के लिए विशेष सहायता की चौथी किस्त जारी करने का अनुरोध करते हुए यह उल्लेख किया था कि जिलों के पुनर्गठन के साथ राज्य में जिलों की संख्या 31 हो गई है जिसके परिणामस्वरूप विकास संबंधी व्यय की मांग में वृद्धि हुई है।

(घ): वर्ष 2018-19 के लिए तेलंगाना के पिछड़े जिलों के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान दिनांक 28.09.2018 को पहले ही जारी कर दिया गया है।

*****